संख्या राजस्व-ग्री(डी)6-26/91
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।

प्रेषित

समस्त मण्डलायुक्त/उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-2, 9 जुलाई, 1991।

विषय:- सरकारी भूमि का एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तान्तरण करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के, हाशिया में भेजे गये, पूर्व पत्रों का अधिक्रमण करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने मामले पर पुनर्विचार करके यह निर्णय लिया है कि सभी प्रकार की सरकारी भूमि (जो राजस्व विभाग में निहित है) तथा जो भूमि एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को हस्तान्तरित की जानी हो, के सम्बन्ध में विभिन्न अधिकारियों को स्वीकृति बारे शक्तियां निम्न प्रकार होंगी। यह आदेश तत्काल लागू होंगे:-

1. उपायुक्त ... 2-10-0 बीघा तक (अढाई बीघा तक)
2. मण्डलायुक्त ... 2-10-00 बीघा से ऊपर 5-0-0 बीघा तक (अढाई बीघा से ऊपर पांच बीघा तक)
3. वित्तायुक्त (राजस्व) ... 5-0-0 बीघा से अधिक पूर्ण शक्तियां (पांच बीघा से अधिक)।

2. उपायुक्तों तथा मण्डलायुक्तों द्वारा जारी भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति पत्रों की प्रतिलिपि प्रत्येक केस में हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित की जायेगी।

3. उक्त भूमि एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को केवल जनहित कार्यों के लिए ही हस्तान्तरित की जायेगी।

4. यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार की सरकारी भूमि (जो राजस्व विभाग में निहित है) तथा जो जनहित कार्यों के लिए एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को हस्तान्तरित की जानी हो, को इस शर्त पर दिया जाये कि यदि कोई भूमि विभाग की आवश्यकता से अधिक हो जाये अथवा

हस्तान्तरित भूमि को उसी प्रयोजन के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो जिस के लिए यह दी गई थी, तो अधिक्य (सरप्लस) भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग को वापिस चली जायेगी।

5. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी विभाग को, जिसके कब्जे में भूमि है, दूसरे सरकारी विभाग को यह भूमि हस्तान्तरित करने में आपत्ति हो तो जनहित कार्यों के लिए ऐसी भूमि हस्तान्तरित करने के मामले स्वीकृति हेतु सरकार को अग्रेषित किए जायेंगे।

6. सरकार साथ ही यह भी निर्णय लेती है कि किसी भी सूरत में सुरक्षित पूल की भूमि को हस्तान्तरित न किया जावे। इस संदर्भ में समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाये।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(के० आर० भारद्वाज)
उप सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं० राजस्व-डी (जी) 6-24/91 दिनांक शिमला-2, 9 जुलाई, 1991

प्रतिलिपि उप सचिव (सिंचाई) हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके पत्र संख्या सिंचाई 11-190/91 दिनांक 6-4-91 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)

उप सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हाशिया:

1. आर० 22-66/59 दिनांक 18-3-59
2. आर० 25-613/59 दिनांक 28-8-61
3. 4-14/72-रैव-डी दिनांक 28-8-72
4. 4-20/72-रैव-ए, दिनांक 10-5-76
5. रैव-डी (जी) 6-9/89 दिनांक 30-7-90
6. रैव-डी (जी) 6-8/89 दिनांक 17-1-91

हिमाचल प्रदेश सरकार ।
राजस्व विभाग
सरकारी भूमि का हस्तांतरण / विक्रय ।

सरकारी भूमि को भारत सरकार के अधीन विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं/बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि को हस्तांतरण/विक्रय किए जाने के मामलों में भूमि विक्रय का निम्नलिखित निर्धारण किया जाएगा ।

1. वित्तायुक्त (राजस्व) — प्रचलित उच्चतम बाजारी कीमत के आधार पर 2 लाख रूपये मूल्य की सरकारी भूमि के बारे मामले ।
2. राजस्व मंत्री — प्रचलित उच्चतम बाजारी कीमत के आधार पर 2 लाख रूपये से 3 लाख रूपये तक मूल्य की सरकारी भूमि के बारे मामले ।
3. मुख्यमंत्री — प्रचलित उच्चतम बाजारी कीमत के आधार पर 3 लाख से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि के बारे मामले ।

अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी ।

संयुक्त सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या राजस्व (डी)जी(8)24/91 दिनांक : शिमला 6.11.92
प्रतिलिपि निजी सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश शिमला-2
2. निजी सचिव मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ।
3. निजी सचिव राजस्व मंत्री हिमाचल प्रदेश ।

रैव0डी(जी)6–14/2015
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व–डी विभाग

प्रेषक:

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित:

1. समस्त मण्डलायुक्त,
हिमाचल प्रदेश

2. समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला–171002 9 फरवरी, 2016

विषय:– सरकारी भूमि का एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरण करने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे इस विभाग के पत्र संख्या रैव0डी(जी)6–24/81 दिनांक 9.7.1991 की निरन्तरता में यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी भूमि का एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरण करने सम्बन्धी विभिन्न अधिकारियों को प्रदान शक्तियों में आंशिक संशोधन/बदलाव करते हुए भविष्य में ऐसे मामलों में भूमि हस्तांतरण बारे शक्तियां निम्न प्रकार होंगी :–

1.	उपायुक्त	1.00 हैक्टेयर
2.	मण्डलायुक्त	1.00 हैक्टेयर से उपर 1.5 हैक्टेयर तक
3.	वित्तायुक्त (राजस्व)	1.5 हैक्टेयर से अधिक पूर्ण शक्तियाँ (माननीय राजस्व मंत्री की पूर्व अनुमति से)

इसके अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार टाक)
उप सचिव(राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार
फोन न0 2628504

No. Rev-D(G)8-14/2015
Government of Himachal Pradesh
Revenue Department.

From

The Principal Secretary-cum FC(Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

1. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
3. All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.

Dated: Shimla-2, 15th July, 2023

Subject:- Instruction regarding transfer of Govt. land from one Department to another Department in the State of Himachal Pradesh.

Sir,

In continuation to this Department letter No. Rev-D(G) 6-24/91 dated 9th July, 1991, letter No. Rev-D(G) 8-14/2015 dated 9th Feb., 2016 and in supersession of this department letter of even number dated 24th June, 2023 on the subject cited above, it has been decided by the Government after careful consideration of the matter that the following procedure/formalities may invariably be completed/followed with regard to the transfer of possession of Govt. land from one Department to another Department in the State of HP as under:-

1. Where the land in the possession/use of one department, is proposed for transfer in the name of other department of the State Govt., the NOC of that particular department only shall be necessary.
2. Where the land belongs to and possessed by the Govt. of HP and possession is proposed to be transferred to other departments of the State Govt. for any developmental activities, the NoCs from PWD, Jal Shakti Vibhag, Electricity Board, Forest Departments shall be necessary/obtained.
3. The NOCs of Local Bodies, i.e. Gram Panchayat, Nagar Panchayat and Municipal Corporation shall also be obtained. In case, if the concerned local bodies will not respond/issue NOC within a period of one month from receipt of request/reference from concerned Department/user agency, the user department/agency shall report the matter to concerned Deputy Commissioner who shall issue a notice to the concerned Local Bodies for assigning the reasons for not issuing such NOC. The reason, report/objections of the Local Bodies will be examined by the concerned DC's and decided by a well reasoned and speaking order within 10 days. The decision of the concerned DC shall be final and treated as NOCs of concerned Local Bodies for the proposed purpose.

It is, therefore, requested and impressed upon all concerned authorities that these instructions/procedure may be adhered to and followed strictly in land transfer cases in future accordingly. All such cases shall be routed through Div. Comm. and concerned AD respectively.

Yours faithfully,

(Balwan Chand)
Joint Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2880471